




| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 07.04.2026 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि वे इस प्रार्थना पत्र को नहीं चलाना चाहते एवं सुसंगत धाराओं में वाद पेश करना चाहते हैं। अतः इस भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को विद्धों करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।</p> <p>मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण वकील द्वारा चाहा गया अनुतोष लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐसी त्रुटि नहीं माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत परिवर्तित किया जा सके।</p> <p>अतः वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पर उन्हें पत्रावली विद्धों करने की अनुमति प्रदान की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। प्रार्थीगण सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०) </p> | <p style="text-align: center;">  7/4/2026 </p> <p style="text-align: center;">  </p> |

